



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

Chhattisgarh
Housing Board

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक...../2015

दिनांक 22/12/2015


विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तालपुरी कॉलोनी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैण्ड राजनांदगांव में बी.एस.एन.एल. द्वारा मोबाईल टॉवर लगाने बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के तालपुरी कॉलोनी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैण्ड राजनांदगांव में मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु जनरल मैनेजर, टेलीकॉम, जिला-दुर्ग, बी.एस.एन.एल. (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा आवेदन के साथ अनुरोध किया गया है कि अनुमति हेतु मण्डल द्वारा एक वर्ष की सुरक्षा निधी न ली जावे तथा वार्षिक 10 प्रतिशत बढ़ेदारी की जगह केवल 4 प्रतिशत बढ़ेदारी का प्रावधान किया जावे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 45वें सम्मिलन दिनांक 19.12.2014 की पद संख्या 09 के पारित संकल्प क्रमांक 1275-09/45/12/2014 द्वारा मण्डल की कॉलोनियों के संचार सुविधाओं के सुदृढीकरण के संबंध में विभिन्न संचार सुविधा प्रदायकर्ता एजेंसी के संबंध में निर्णय लिया गया है। तदनुसार अनुबंध में मासिक किराये पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि तथा एक वर्ष की सुरक्षा निधी जमा कराने का प्रावधान है।


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-17 संकल्प क्रमांक 1358-17/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर इकाई है तथा उनके द्वारा किये गये निवेदन पर विचार करते हुए उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय कॉलोनियों में संचार सुविधा सुदृढीकरण के लिए मोबाईल टॉवर हेतु किराये पर स्थान उपलब्ध कराने के लिए एक वर्ष की सुरक्षा निधी मण्डल द्वारा न लेते हुए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ेदारी के जगह केवल 8 प्रतिशत की दर से 03 वर्ष के लिए किराया अनुबंध करने की शर्त पर कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर को अधिकृत किया गया है।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर 22/12

क्रमशः-02

पृ.क्र. २४५६/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15 रायपुर, दिनांक २२ / १२ / 2015
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्‍यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर